

पत्र संख्या-विधि-4(1)-परिपत्रभाग-2(09-10)/०९/००७९/। ८४ / वाणिज्य कर।
प्रेषक,

कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक :: लखनऊ :: जनवरी २७, 2010

महोदय,

शासन के प०स०-क०नि०-२-११९/ग्यारह-२-२०१०-९(२९५)/०७-टी०सी०, दिनांक 27-1-2010 द्वारा यह निर्देश दिये हैं कि व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2008-09 का वार्षिक रिटर्न दिनांक 31-३-२०१० तक दाखिल न किये जाने पर उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाये।

कृपया शासन के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें एवं अधिवक्ता संघों/ व्यापारिक संघों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(य०सी० दीक्षित)


एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प०प०स० एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-२ सचिवालय लखनऊ को उनके प०स०-क०नि०-२-११९/ग्यारह-२-२०१०-९(२९५)/०७-टी०सी०, दिनांक 27-1-2010 के सदर्भ में सूचनार्थ।

2- समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइन्ट कमिशनर वाणिज्य कर मुख्यालय।


(य०सी० दीक्षित)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।